डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 04/2025-26 के मुख पृष्ठ, प्रस्तावना, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों के पृष्ठ 1, 2, 114, 115 और 116 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/ एएआई - रायपुर /सीपी-II/2025-26

परामर्श पत्र संख्या 04/2025-26

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

स्वामी विवेकानन्द अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, रायपुर (आरपीआर) के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2025 से 31.03.2030) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 30 अक्तूबर, 2025

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

प्रस्तावना

स्वामी विवेकानन्द अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, रायपुर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व में और इसके द्वारा प्रचालित है। यह रायपुर और नया रायपुर के बीच माना में स्थित है और भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कार्य करने वाला प्रमुख हवाईअड्डा है।

रायपुर हवाईअड्डे को एएआई द्वारा पीपीपी मोड पर प्राइवेट हवाईअड्डा प्रचालक को पट्टे पर देने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसे ध्यान में रखकर नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने दिनांक 01 अक्तूबर, 2019 को अधिसूचना संख्या एवी24011/141/2015-एडी (खंड -V) द्वारा रायपुर हवाईअड्डे को प्रमुख हवाईअड्डे के रूप में अधिसूचित किया था।

वित्त वर्ष 2024-25 के वास्तविक यातायात के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे से 2.57 एमपीपीए यात्री आवागमन (थ्रूपुट) हुआ है।

इस परामर्श पत्र के लिए प्राधिकरण ने प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2020-वित्त वर्ष 2024) के प्रथम चार (04) वर्षों के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों (रायपुर हवाईअड्डे के लिए लेखा परीक्षित ट्रायल बैलेंस के रूप में), वित्त वर्ष 2024-25 के वास्तविक आंकड़ों (लेखा परीक्षा न किए गए, बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर) और द्वितीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2030) के अनुमानों को मान लिया है।

प्राधिकरण ने इस परामर्श पत्र में हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) के संबंध में प्राधिकरण के विश्लेषण और टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में अपने प्रस्ताव पेश किए हैं।

प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर सभी हितधारकों के लिखित साक्ष्य आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करेगा तथा वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करेगा। प्राधिकरण इस बात पर बल देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया की समय-सीमा निश्चित है और इस कारण से हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियां/इनपुट इस परामर्शपत्र में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कर दें, इसके बाद प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(2) के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आदेश के तहत निर्धारित टैरिफ की समीक्षा कर इसमें संशोधन किया जा सकता है।

अत: ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 30.10.2025 के परामर्श पत्र संख्या 04/2025-26 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी/टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल : director-ps@aera.gov.in, satish.kr@aera.gov.in, प्रति secretary@aera.gov.in

हितधारकों की परामर्श बैठक	:	14 नवम्बर, 2025
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	29 नवम्बर , 2025
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	09 दिसम्बर, 2025

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी/टैरिफ) से दूरभाष संख्या 011-24695043 पर संपर्क कर सकते हैं।

15 *प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार*

अध्याय 4 : प्रथम नियंत्रण अवधि का टूअप

4.11.1 तालिका 9 के विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।

4.11.2 तालिका 10 में उल्लेख किए अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

4.11.3 तालिका 11 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए आरएबी को मानना।

4.11.4 प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए 13.62%एफआरओआर को मानना।

4.11.5 प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 16 में प्रस्तुत किए अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

4.11.6 प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 23 के विवरण के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

4.11.7 तालिका 28 के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए वास्तविक वैमानिक राजस्व को मानना।

4.11.8 तालिका 29 में दिए गए विवरण के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए एआरआर और कम वसूली को मानना तथा प्रथम नियंत्रण अवधि की इस कमी को द्वितीय नियंत्रण अवधि के एआरआर में समायोजित करना।

अध्याय 5: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

5.3.1 तालिका 33 के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए यात्री और एटीएम यातायात को मानना।

5.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (यात्री और एटीएम) को टूअप करना।

अध्याय 6: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार

6.5.1 तालिका 40 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक पूंजीगत व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करना।

6.5.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों, लागत कार्यक्षमता और औचित्य के आधार पर पूंजीगत व्यय को टू-अप करना।

6.5.3 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूंजीकृत परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। इसके अतिरिक्त, यदि परियोजना पूर्ण होने में देरी किसी ऐसे कारण से होती है जो एएआई या उसकी संविदाकारी एजेंसी के नियंत्रण से बाहर है और इसका औचित्य प्राधिकरण को स्वीकार्य है, तो प्राधिकरण द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक लागत का आकलन करते समय इसे ध्यान में रखा जाएगा।

6.5.4 तालिका 42 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानना।

6.5.5 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को टू-अप करना।

6.5.6 तालिका 44 के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।

6.5.7 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 7 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

7.3.1 रायपुर हवाईअड्डे के लिए तालिका 45 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के संबंध में 12.09% के एफआरओआर को मानना।

अध्याय 8 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

8.3.1 रायपुर हवाईअड्डे के लिए तालिका 46 में दिए गए विवरण के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए डब्ल्यूपीआई मुद्रा-स्फीति को माननां।

अध्याय 9: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

9.3.1 तालिका 52 के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को माननां।

9.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य और दक्षता की शर्त पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के दौरान एएआई द्वारा रायपुर हवाईअड्डे के लिए वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को टू-अप करना।

अध्याय 10: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व

10.3.1 तालिका 56 के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को माननां।

10.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय रायपुर हवाईअड्डे के लिए एएआई द्वारा प्राप्त गैर-वैमानिक राजस्व के टू-अप को माननां, यदि यह प्राधिकरण द्वारा द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तावित गैर-वैमानिक राजस्व से अधिक हो ।

अध्याय 11 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

11.3.1 तालिका 59 के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को माननां।

11.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वैमानिक कर की राशि को उपयुक्त ढंग से टू-अप करना।

अध्याय 12: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

12.3.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी समायोजन न माननां।

अध्याय 13 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

13.3.1 तालिका 62 के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और मुनाफे को माननां।

13.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य एवं कार्यक्षमता की शर्त पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वास्तविक आंकड़ों के आधार पर एआरआर और वाईपीपी को टू-अप करना।

अध्याय 14 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

14.3.1 तालिका 66 के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व को माननां।

14.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वास्तविक संख्या के आधार पर वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

16 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

16.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 16–प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

16.1.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

16.1.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 29 नवम्बर, 2025 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
दूरभाष : 011-24695044-47 फैक्स : 011-24695048

(अध्यक्ष)